विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2232
दिनांक 25.7.2016

परिशिष्ठ–एक

01 अक्टूबर 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के अध्यापक संवर्ग संघ/संगठनो ने संविलियन/छठवे वेतनमान एवं स्थानान्तरण नीति के संबध में माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं स्कूल शिक्षा मंत्रीजी के माध्यम से संचालनालय को प्राप्त ज्ञापन/मांग पत्र की जानकारी

| स.क्र | संघ/संगठन का नाम/ज्ञापन का दिनांक | ज्ञापन का संबोधन | ज्ञापन में उल्लेखित मांग का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | अध्यापक संयुक्त मोर्चा 2015<br>दिनांक 2.11.15 | माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित | (1) अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन<br>(2) अध्यापक संवर्ग को एक मुश्त छटवे वेतनमान का लाभ दिया जाए।<br>(3) अन्य 10 मांग जिसमें स्थानान्तरण नीति की मांग है। |
| 2 | अध्यापक संविदा शिक्षक संघ म.प्र.<br>दिनांक 3.11.15 | माननीय शिक्षा मंत्रीजी को संबोधित | (1) अध्यापको/संविदा शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए।<br>(2) पुरूषों के लिए ट्रांसफर नीति एवं अन्य मांग। |
| 3 | आजाद अध्यापक संघ ब्लॉक बेगमगंज जिला रायसेन<br>दिनांक 11.1.16 | माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित | (1) छठवे वेतनमान जनवरी 2016 के स्थान पर दिसम्बर 2015 से किया जावे। एवं अन्य मांगे। |
| 4 | आजाद अध्यापक संघ रतलाम<br>दिनांक 13.1.2016 | माननीय शिक्षा मंत्रीजी को संबोधित | (1) छठवे वेतनमान के संबध में। |
| 5 | आम अध्यापक संघ म.प्र. जिला रायसेन<br>दिनांक 13.1.2016 | माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित | (1) शिक्षा विभाग में संविलियन<br>(2) सामान्य ट्रासफर नीति |

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2232
दिनांक 25.7.2016

परिशिष्ट–दो

## प्रश्नांश "ख" भाग की जानकारी

| स.क्र | मांगे | मांगो पर की गई कार्यवाही |
| --- | --- | --- |
| | अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन | अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना संभव नही है, न ही अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने के संबध में कोई भी निर्णय नही लिया गया है। |
| | अध्यापक संवर्ग को छटवे वेतनमान का लाभ दिया जाए एवं छठवे वेतनमान की विसंगति रहित गणना पत्र जारी करने | म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 25.2.2016 से छठवॉं वेतनमान दिये जाने तथा वेतन निर्धारण के संबध मे दिनांक 31.5.2016 को वित्त विभाग के सहमति से आदेश जारी किये गये है। जारी किये गये आदेश में विसंगति नही है। दिनांक 31.5.2016 को जारी आदेश, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 7.6.2016 के द्वारा आगामी आदेश तक के लिये स्थगित किया गया है। |
| | अध्यापक संवर्ग हेतु स्थानान्तरण नीति | अध्यापक संवर्ग के लिये निकाय के भीतर स्थानान्तरण की नीति नही है। एक निकाय से दूसरे निकाय मे संविलियन की नीति केवल महिलाओ, नि:शक्त एवं परस्पर आधार पर ऑनलाईन कॉन्सलिंग के माध्यम से है। वर्तमान में ऑनलाईन कॉन्सलिंग की नीति वर्ष 2015–16 के लिये प्रारंभ नही की गई है। |

अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश